

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-ई-33/ले.टे./ (1185)/09/714 दिनांक : 29/5/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान ।

विषय:-ग्रामीण लैब टेक्नीशियन के कार्यग्रहण के संबंध में ।  
संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.5.09 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.5.09 के द्वारा ग्रामीण लैब टेक्नीशियन के पद पर समस्त नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए उन्हें रिट याचिका के अंतिम आदेश के अध्यक्षीन ला दिया है ।


अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में, निर्देश दिये जाते है कि इस निदेशालय के नियुक्त आदेश क्रमांक ई-33/ले.टे./ (1185)/09/182 दिनांक 28.2.09 के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने ग्रामीण लैब टेक्नीशियन के पद पर अब तक कार्यग्रहण नहीं किया है, उन्हें अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे ।

  
अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-33/ले.टे./ (1185)/09/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये जोन, राजस्थान को पालनार्थ ।

  
अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये  
राजस्थान जयपुर